न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.03 / अपील / 2021 (GCMS No. 2023 / 221)	11.01.2021	17.09.2024

1. दिलराज पुत्र भागचन्द कीर नि.देलून्दा हाल नि. कीरों का झौपडा
2. गौरी बाई पुत्री भागचन्द कीर नि.देलून्दा हाल नि. कीरों का झौपडा
3. पारी बाई पुत्री भागचन्द कीर नि.देलून्दा हाल नि. कीरों का झौपडा
4. गुड्डी बाई पुत्री भागचन्द कीर नि.देलून्दा हाल नि. कीरों का झौपडा
5. राजाबाई पत्नी भागचन्द जाति कीर निवासी ग्राम देलून्दा, हाल निवासीगण कीरों का झौपडा हिण्डोली, तह. हिण्डोली जिला बून्दी

— अपीलान्टस

बनाम

1. भागचन्द पुत्र लखमा जाति कीर निवासी देलून्दा, तह.व जिला बून्दी
2. ज्ञानचन्द पुत्र भागचन्द कीर निवासी देलून्दा, तह.व जिला बून्दी
3. कालूलाल पुत्र भागचन्द कीर निवासी देलून्दा, तह.व जिला बून्दी
4. द्वारिकालाल पुत्र भागचन्द कीर निवासी देलून्दा, तह.व जिला बून्दी
5. यादराम पुत्र भागचन्द कीर निवासी देलून्दा, तहसील व जिला बून्दी
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बून्दी।

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्टस की ओर से श्री प्रेमशंकर गुर्जर, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 5 की ओर से श्री प्रहलाद वर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलेक्टर, बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 1757 दिनांक 13.11.2019 (तस्दीक दिनांक 14.11.2019) ग्राम अंजेता से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरण रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 24.06.2019 के आधार पर दानगृहिताओं के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 03/2021 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2021/4 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 ज़रिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनीं गई।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 292 रकबा 1.1898 हैक्टेयर, ख.सं. 294 रकबा 3.0270 हैक्टेयर, ख.सं. 393 रक़बा 0.1457 हैक्टेयर, ख.सं. 436 रकबा 0.5665 हैक्टेयर एवं ख.सं. 932 रकबा 0.5665 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.4955 हैक्टेयर भूमि ग्राम अजेता में स्थित है। जिसमें रेस्पो.सं. 1 भागचन्द का 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित भूमि अपीलांट की पैतृक भूमि है जो खातेदार भागचन्द को अपने पिता लखमा कीर से विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। अपीलांट सं.1 लगायत 4 भागचन्द एवं उसकी विवाहिता पत्नी अपीलांट सं. 5 राजाबाई के पुत्र पुत्रियां है तथा रेस्पो. सं. 2 लगायत 5 भागचन्द एवं उसकी नातायत पत्नी रूकमणी के पुत्र है। खातेदार भागचन्द द्वारा भूमि उसके द्वारा बसाई हुई स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होकर पैतृक होने के उपरान्त भी उक्त भूमि में निहित अपने 1/4 हिस्से का अवैध रूप से विधिविरूद्ध दानपत्र रेस्पो.सं. 2 लगायत 5 के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया, जबकि भागचन्द को पैतृक भूमि के संबधं में उक्त दानपत्र निष्पादित करने का कोई अधिकार ही नहीं था, इस कारण उक्त दानपत्र प्रारम्भतः शून्य व अवैध होने से रेस्पो.सं.1 लगायत 5 को इससे कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसके बावजूद भी उक्त दानपत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1757 दिनांक 13.11.2019 को तस्दीक कर दिया गया। ऐसा भागचन्द द्वारा अपीलांटस के जन्म से ही निहित हक अधिकार से वंचित करने के लिए किया गया, जो विधिविरूद्ध है। इस प्रकार विधिविरूद्ध दानपत्र के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण सं. 1757 विधान के सर्वथा विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से अपीलांटस के सुनवाई के नैसर्गिक अधिकार का हनन हुआ है। अपीलांटस को अपीलाधीन नामान्तरकरणं की पूर्व

जिला कलेक्टर, बून्दी

में कोई जानकारी नहीं थी। रेस्पो.सं.1 लगायत 5 द्वारा बेदखली की धमकी देने और भूमि पर नाम नहीं होने की बात बताने पर अपीलांटस द्वारा राजस्व रिकार्ड की तलाश की गई। तब सर्वप्रथम दिनांक 18.12.2020 को नामान्तरकरण की जानकारी होने पर उसी दिन नकल आवेदन कर नकल प्राप्त कर यह अपील जानकारी की तिथि से अवधि मध्य पेश की गई है। फिर भी विलम्ब माना जावें तो देरी कन्डोन फरमाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 5 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर सुना जाकर तथा मियाद के बिन्दू पर निर्णय उपरान्त समाधान हो जाने की स्थिति में ही अपील का आगे गुणावगुण पर विनिश्चय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांटस द्वारा यह अपील देरी से पेश की गई है। अपीलांटस द्वारा अपील देरी से पेश किये जाने के कारण मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो. सं.1 लगायत 5 द्वारा अपील को मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 5 द्वारा बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस अपने को जिस राजाबाई कहार पत्नी भागचन्द कहार निवासी भीमगंज, तहसील हिण्डोली की सन्तान बता रहे है उक्त राजाबाई कहार नाम की महिला कभी भी रेस्पो.सं.1 भागचन्द कीर निवासी देलुन्दा तहसील बून्दी की पत्नी नहीं रही है। अपीलांटस की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिसमें राजाबाई कीर पत्नी भागचन्द कीर जाति कीर निवासी देलुन्दा अंकित हो। इस प्रकार जब राजाबाई कहार ही रेस्पो.सं.1 भागचन्द कीर की वैध विवाहित पत्नी नहीं है तो फिर उसकी संतान अपीलांट सं.1 लगायत 4 का रेस्पो.सं.1 भागचन्द कीर से कोई संबंध कैसे हो सकता है। अपीलांट सं.1 के आधारकार्ड की छायाप्रति में दिलराज कहार आ. भागचन्द निवासी डाटून्दा, तहसील हिण्डोली अंकित है, जबकि अपीलांट सं. 2 व 4 के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। इस प्रकार अपीलांट सं. 5 द्वारा उसके पति का नाम भागचन्द होने का फायदा उठाकर यह अपील पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है। रही बात रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की, तो अपीलांटस को यदि उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र से कोई आपत्ति है तो इसे सिविल कोर्ट में चेलेंज करना चाहिए। रजिस्टर्ड दानपत्र को निरस्त करवाये वगैर नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 5 द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाकर अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 14.11.2019 की दिनांक 18.12.2020 को जानकारी होना अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम में अंकित करते हुये नामा. की नकल प्राप्त कर दिनांक 06.01.2021 को हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम अजेता में विस्थित आराजी ख.सं. 292 रकबा 1.1898 हैक्टेयर, 294 रकबा 3.0270 हैक्टेयर एवं 393 रकबा 1.1457 हैक्टेयर का खातेदार भागचन्द पुत्र लखमा हिस्सा 1/4 जाति कीर निवासी देलून्दा था। रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 24.6.2019 के आधार पर खातेदार भागचन्द के स्थान पर दानगृहिता ज्ञानचन्द, कालूलाल, द्वारिकालाल, यादराम पि0 भागचन्द के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 1757 दिनांक 14.11.2019 तस्दीक किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजाबाई कहार पत्नी भागचन्द कहार निवासी भीमगंज एवं दिलराज कहार पुत्र भागचन्द निवासी डाटून्दा के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं परिवार राशनकार्ड की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेज राजाबाई कहार निवासी भीमगंज एवं दिलराज कहार निवासी डाटून्दा के रेस्पो.सं. 1 भागचन्द कीर निवासी देलून्दा से सीधे सीधे पत्नी व पुत्र का संबंध प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं है। वैसे उत्तराधिकार तय करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है, ऐसे में इस हेतु अपीलांटस को सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करनी चाहिए। जहां तक रजिस्टर्ड दानपत्र की वैधता का प्रश्न है तो रजिस्टर्ड दानपत्र की वैधता का परीक्षण करना, इस न्यायालय के क्षवणाधिकार में नहीं आता है, अपितु यह दीवानी न्यायालय के क्षवणाधिकार में है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर तस्दीक अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी गई है। यदि अपीलांट को दानपत्र से आपत्ति है तो वे दानपत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त विचारण कार्यवाही में किसी के हक हकूक तय नही होते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 17.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर; बून्दी